

कार्यालय महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट
E-mail – gm_bgtpiu1@rediffmail.com - 07632240334

पत्र क्र. ११७/तक/म०प्र०ग्रासप्रा/2022
प्रति,

बालाघाट दिनांक 27/05/2022

कलेक्टर महोदय
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :- नक्सल प्रभावित क्षेत्र में RCPLWEA योजनांतर्गत जिला बालाघाट के बिरसा एवं किरनापुर विकासखंड में पैकेज क्रमांक एम.पी.01806 के डाबरी-कलकत्ता व्हाया लातरीटोला, माहुरदल्ली बोदालझोला मार्ग लंबाई 26.80 किमी. के निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र प्रदान करने बाबद्।

.....00.....

महोदय,

निवेदन है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में RCPLWEA योजनांतर्गत जिला बालाघाट के बिरसा एवं किरनापुर विकासखंड में पैकेज क्रमांक एम.पी.01806 के डाबरी-कलकत्ता व्हाया लातरीटोला, माहुरदल्ली बोदालझोला मार्ग लंबाई 26.80 किमी. के निर्माण/उन्नयन हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत किया जाना है। उक्त मार्ग निर्माण में दक्षिण वन मंडल बालाघाट में 11.76 हे. वन भूमि एवं उत्तर वन मंडल बालाघाट में 6.728 हे. कुल 18.488 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है। मार्ग के निर्माण/उन्नयन कार्य होने से यहाँ के रहने वाले आदिवासी, ग्रामवासियों को आने जाने में सुविधा होगी एवं दुर्घटनाओं में कमी होगी तथा ग्रामवासियों का आवागमन सुगम होने से उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास होगा।

अतः अनुरोध है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कलेक्टर का प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें।



म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

पृष्ठा. क्र. १११/तक/म०प्र०ग्रासप्रा/2022

बालाघाट दिनांक 27/05/2022

प्रतिलिपि :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंधन) महोदय, म.प्र. भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।



म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट